

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहवाई मत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सन्तान सं० 194/38-3-2014-07(न्यूनवे०)/04, दिनांक 28.01.2014 से 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी को मूल दरा देय परिवर्तनीय मंहवाई मत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी को जो दरे भवित्तीय आधार पर निर्धारित की है उसे 01.04.2014 से मजदूरी और परिवर्तनीय मंहवाई मत्ता के 1/20 से कम तथा प्रति घण्टे दरा, वार्षिक दर को 1/6 से कम न होगी।

उपरोक्त के अनुसार न्यूनतम 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अधिल भारतीय उपमोक्ष मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 (माह के बी चौबिस) अंकों के ऊपर जुलाई, 2013 से दिसम्बर, 2013 के औसत अंक 239 (माह के बी चौबिस) पर दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 30.09.2014 तक परिवर्तनीय मंहवाई मत्ता निम्नलिखित मूल्यान्त की भांति गणना करके देय है:-

दृष्टान्त :- रुपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अनुसूचित श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 239 पर दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 30.09.2014 तक देय परिवर्तनीय मंहवाई मत्ता निम्नलिखित होगा :-

(239-216)

$$\frac{X}{5750} = \frac{239}{216} \text{ प्रतिमाह}$$

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहवाई मत्ता, वार्षिक एवम् हेतिका मजदूरी को दरे निम्नवत है-

क्र. 0	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहवाई मत्ता (रुपये में)		दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 30.09.2014 तक	
			दिनांक 28.01.2014 से दिनांक 31.03.2014 तक	दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 30.09.2014 तक	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये में)	हेतिका मजदूरी (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	लकड़ा	5750.00	288.20	612.27	6302.27	244.20
2	अर्ध बुद्ध	8325.00	292.52	673.50	6998.50	269.17
3	बुद्ध	7085.00	328.01	764.42	7839.42	361.32

नियोजनों के नाम :-

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टावर और टयूर सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिथुन उद्योग।
4. वासित पंपों (स्प्रेड डिक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाइवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आर्यल पम्प।
8. डरी और मिल्क डरी।
9. सिले सिलारों कंपकों की विनिर्माणशाला।
10. बीघ तटबन्ध के निर्माण और अनुक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुडो और बाँधों को खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका चालेख फरस नही किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवम् प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट अकदमी सामान को दुकानों।
13. ठलाई घर।
14. पातु उद्योग।
15. टिन प्लेट रोपिंग और टिन प्रिटिंग।
16. ऐसे अधिवन्धन उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।
17. चर्म शोधशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी संकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोरिंग बलाओं प्राइवेट विद्यालयों, डिजिटल और निजी प्राथमिक संस्थानों भी सम्मिलित है।
23. ताम्रक विनिर्माण।
24. चर्मशाला।

CharterDA

(1-5)

कार्यालय प्रभाग

20/8/2014 Time 4:58 P.m

सिक्
20/8/14

20/8/2014
Association
को सौदर्य
प्रमाणित

25. वाणिजी (फ्लेसरी) लटका बगान और बाग़ कार्य जिसमें अन्तर्गत किसी अन्य पत्र संख्या का सम्बन्ध और उसे मंजी में ले जाना भी है।
26. पुष्पन।
27. वणिज्य अविधान।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर मण्डलन।
31. धार्मिक परिदृश्य : कर्मशाला।
32. आर्टोमोबाइल रिपेयरिंग क. शाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाने रखने या निर्माण संक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कटने।
35. सिंकन के कार्य।
36. विद्यालयों के उद्योग।
37. आइसक्रीम / आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
38. रेकरी और विस्फोट विनिर्माणशाला।
39. बर्फ विनिर्माणशाला।
40. एम्बेल्टेड सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेंट उत्पाद विनिर्माण शाला।
41. लाकड़ी और चूनाई अविधान।
42. गिरवसाली।
43. फोल्ड स्मॉल।
44. पाटरी, सिरेमिक्स या रिफ़ेक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा उद्योग।
48. तैलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सा।
50. तेल।
51. हथकरघा (शिल्प की साड़ी की दुआई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साधन या रिफ़ेक्ट्रीज या साधन का मूला या प्रचालक विनिर्माण।
53. ऊनी कपड़ा बनाने के अविधान।
54. धातुकारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति यंत्रों के कलक उद्योग।
57. छोटा (मिटर) बल्ब एमन कांच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, तख्त और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट भट्टा उद्योग।

Ubonnelli
(सहस्रवर्ष) 19/5/2014
उप भ्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश
वृत्त भ्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय भ्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

दिनांक 19-5-2014

पत्र सं०-1917-44/प्रसंग- (नया प्रसंग) /14

- प्रतिनिधि:
1. समस्त क्षेत्रीय अपर / उप भ्रम आयुक्त, राज्य, को इस आदेश में प्रेषित कि अधिनियम अधिवर्तियों को अवगत कराने तथा प्रेषित।
 2. सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों को भी सूचनाएं उपान्तक अर्थात्।
 3. अनुसूचित वर्गों सहित भ्रम अनुसूचक-3, संवत् 14।
 4. संलग्नक निर्देशक, जिन एवं राजपार मंत्रालय (मि. वेल) भारत सरकार, नई दिल्ली को ई-मेल regcc@nic.in के माध्यम से।
 5. अधिकांसी निदेशक उद्योग मंत्रालय।
 6. अपर भ्रमायुक्त (नज़रत) को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने हेतु।
 7. अपर भ्रमायुक्त (आर्थोशाब्द) मुख्यालय।
 8. अपर भ्रमायुक्त (कानपुर) मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर / उप भ्रम आयुक्त एवं राज्यल निर्देशक, भारत सरकार को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय मंत्रालय पर अवलोक कराने हेतु।
 9. अपर भ्रमायुक्त (पुस्तकालय) मुख्यालय को सूचनाएं / ज्ञान हेतु प्रेषित।
 10. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों को ज्ञान हेतु सूचनाएं एवं ज्ञान के हेतु प्रेषित।

Ubonnelli
(सहस्रवर्ष) 19/5/2014
उप भ्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश
वृत्त भ्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।